



वीरमाधो सिंह भण्डारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
(Formerly Uttarakhand Technical University)

कार्यालय पता- सुद्धोवाला, पो0ओ0 चंदनवाड़ी, प्रेमनगर, चकराता रोड, देहरादून
फोन नं0 (0135-2774067, 2774068, 2774069) वेबसाइट: www.uktech.ac.in

पत्रांक :- 1559 / पुरुस्कार / 2021 दिनांक : 09 / 11 / 2021

1560

मेधावी छात्रों को पुरुस्कार धनराशि दिये जाने हेतु आवेदन पत्रों का आमंत्रण

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा आई0आई0टी0/इण्डियन स्कूल ऑफ माइन्स में (04वर्षीय बी0टैक, 05 वर्षीय बी0टैक/एम0टैक) तथा आई0आई0एम0 में (पी0जी0पी0)/एम0बी0ए0 एवं एन0आई0टी0 (बी0टैक/बी0आर्क) सत्र 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 में अध्ययनरत हेतु चयनित उत्तराखण्ड राज्य के स्थाई निवासी छात्र/छात्राओं को एक मुश्त प्रोत्साहन धनराशि रू0 50000 (रू0पच्चास हजार) प्रति छात्र की दर से उक्त शैक्षिक सत्रों के अनुसार वरियता प्रदान करते हुये वितरण किया जाना है। जिस हेतु दिनांक 26.नवम्बर .2021 शायं 05.00 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन के प्रारूप एवं विस्तृत जानकारी वीरमाधो सिंह भण्डारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.uktech.ac.in से प्राप्त की जा सकती है।

कुलसचिव

Application form for the Reward Prize Money of Rs. 50 Thousand

All Details Fill in Capital Later

Name

Father's Name

Permanent Address

PHOTO

Mobile No. Email Address

Institute Name Address

Course Branch

Year of Admission AIEEE/JEE/CAT All India Rank

Attach Documents:-

✓ / X

1- Permanent resident certificate Photo Copie (Uttarakhand Only)

()

2- 10th & 12th Certificate Photo Copie

()

3- Adhar Card/Votar ID Card Photo Copie

()

4- Institute ID Photo Copie

()

5- AIEEE/JEEE, CAT Score Card/Rank Card Photo Copie

()

6- Affidavit

()

I heraby declare that all the information furnished and documentary proof submitted is correct. I am aware that my application will be cancelled if anything is found untrue.

Signature of applicant

Date

To be Forward by Institute

This is to certify that the above stated student Mr./Ms.

S/o. / D/o. Roll No./Enrolment No.

Course Branch is a bonafide student of this Institute , studying in

..... year semester (Academic Session 20.....-20.....) .

Signature & seal.....
(Registrar/Principal/Director)

॥ प्रोत्साहन धनराशि योजनान्तर्गत आवेदनकर्ता छात्रों हेतु दिशा/निर्देश ॥

1. आई0आई0टी0/इण्डियन स्कूल ऑफ माइन्स में 04वर्षीय बी0टैक, 05 वर्षीय बी0टैक/एम0टैक तथा आई0आई0एम0 में पी0जी0पी0/एम0बी0ए0 एवं एन0आई0टी0 में बी0टैक/बी0आर्क में वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 व 2020-21 में चयनित उत्तराखण्ड राज्य के स्थाई निवासी छात्र ही उक्त प्रोत्साहन धनराशि योजनान्तर्गत आवेदन कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आवेदनकर्ता छात्र का आवेदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
2. प्रोत्साहन धनराशि योजनान्तर्गत आवेदन निर्धारित प्रारूप पर ही स्वीकार किये जायेंगे। आवेदनकर्ता छात्रों को आवेदन-पत्र (निर्धारित प्रारूप) में दी गयी समस्त सूचनाएं/जानकारी भरना अनिवार्य है। प्रारूप पर अधूरी व अस्पष्ट जानकारी/सूचना वाले आवेदन स्वतः निरस्त समझे जायेंगे।
3. आवेदनकर्ता छात्रों को आवेदन पत्र ए-4 साईज लिफाफे में निचें दिये गये पतें पर प्रेषित किये जाने के साथ लिफाफे पर निम्न प्रारूप अनुसार आवेदन किया जाना अनिवार्य है।

(प्रोत्साहन धनराशि हेतु आवेदन)

सेवा में,

कुलसचिव,
वीरमाधों सिंह भण्डारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
सुद्धौवाला,
पो0ओ0-चन्दनवाड़ी, प्रेमनगर,
देहरादून।

द्वारा,

श्री/सुश्री.....

संस्थान- आई0आई0टी0 ()/आई0एस0एम0 ()/एन0आई0टी0 ()/आई0आई0एम0 ()

चयनित पाठ्यक्रम- 04 वर्षीय बी0टैक0 (), 05 वर्षीय बी0टैक0/एम0टैक0, बी0आर्क0 (),
पी0जी0पी0/एम0बी0ए0 ()

संस्थान में चयन का वर्ष-.....

दूरभाष संख्या-.....

पता-.....

4. आवेदनकर्ता छात्रों द्वारा निम्न दस्तावेज आवेदन पत्र हेतु निर्धारित प्रारूप के साथ सलंगन/चस्पा किये जाने अनिवार्य है:-
 1. उत्तराखण्ड राज्य के स्थाई निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति एस0डीएम0 के द्वारा सत्यापित किया जाना अनिवार्य है।
 2. नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो।
 3. संस्थान द्वारा निर्गत पहचान पत्र की सत्यापित छायाप्रति।
 4. 10वी तथा 12वी के प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति।
 5. AIEEE/JEE एवं CAT प्रवेश परीक्षा में प्राप्त ऑल इण्डिया रैंक हेतु स्कोर कार्ड व रैंककार्ड की सत्यापित छायाप्रति।
 6. आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की सत्यापित छायाप्रति।
 7. आवेदनकर्ता छात्र द्वारा हस्ताक्षरित शपथ-पत्र (Undertaking), जिसमें उल्लेखित हो कि सम्बन्धित छात्र को पूर्व में प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा शपथ-पत्र में दी गयी सूचना/जानकारी असत्य घोषित होती है तो सम्बन्धित छात्र के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
5. आवेदनकर्ता छात्रों द्वारा संस्थान के सक्षम प्राधिकारी (निदेशक/प्राचार्य) के माध्यम से ही आवेदन किया जाना अनिवार्य है।
6. प्रोत्साहन धनराशि योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 व 2020-21 में चयनित छात्रों से आवेदन आमंत्रित किये जाने हेतु प्रकाशित विज्ञापन से पूर्व यदि किसी छात्र द्वारा विश्वविद्यालय में आवेदन किया गया है, तो सम्बन्धित छात्र को वर्तमान में प्रकाशित विज्ञापन अनुसार पुनः आवेदन करना अनिवार्य है।